वित्तीय स्वीकृति

संख्य -38/2015/1132/52-3-2015-बजट(13)/2015

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -3, □□□□: दिनांक 12 □□, 2015

विषयः-□□0 उच्च न्यायालय के आदेशों से अनुदान सूची पर लिये 06 नये मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश □0-639/52-3-15-□□(8)/2012 टी0□□0 दिनांक 20.3.2015 □□ □□□□□ □□0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ 06 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यत अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची लिये जाने हेतु इनके वेतनादि के लिए रू0 41,80,00,000/- का आय व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में नयी मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 41,80,00,000/- के सापेक्ष उपरोत्त 06 मदरसों जिन्हें मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों से अनुदान सूची पर लिया गया □□में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेततर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु रु0 02,76,40,000/- (रू0 दो करोड़ छियत्तर लाख चालिस हजार मात्र) निम्नांकित

http://gmsanadesh.up.nic.in

शर्तो/प्रतिबन्धों अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहमति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनर शि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का वि /□□□□□□ प्रमाण-पत्र शासन को 15.03.2016 □□ □□लब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मा) किसी प्रकार के व्यय करने अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □□, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ल □□□

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2015-16 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्य -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-□ □□□□□□-11-146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□) □□ □□□□□□ □□□□

4- वित्त (□□-व्यय□) □□□□-1 के अशासकीय : 0-□-11-599/□□-2015, दिनांक 11 □□, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डे)
संयुक्त सचि

http://sanskaanadesh.up.nic.in

संख्य -1132/52-3-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□ □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, 11□□□□□, पर्यावरण □□□, □□0□□0 □0 काम्पलेक्स, □□□ □□, नयी दिल्ली 110003

4- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□, □□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

6- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -1

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) □□□□-11

9- वित्त(संसाधन केन्द्रीय सहायता) □□□□

10- कम्प्यूटर आपरेटर अल्पसंख्यक कल्याण 0-3 □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

11- गार्ड फाइ□

आज्ञा स,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचि

http://shasanadesh.up.nic.in